

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प 5(8)(121)डीएमई/एलसी/2017

जयपुर, दिनांक 1/6/17

आदेश

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कोटा के प्रस्तावानुसार डॉ० नीलम खण्डेलवाल वरिष्ठ प्रदर्शक पैथोलोजी पूर्णतया आवश्यक/अस्थायी पर नियुक्त को वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(6)FD(Rules)/2007 दिनांक 19.06.2009 के अनुसरण में जीवित 02 सन्तानों की शर्त पर दिनांक 28.07.2014 से 23.01.2015 (180 दिवस) तक का प्रसूति अवकाश पत्रद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज कोटा वित्त (नियम) विभाग के उक्त परिपत्र के क्रम में सम्बन्धित चिकित्सक से यह शपथ पत्र भी प्राप्त करे कि उनके जीवित सन्तानों की संख्या 02 से अधिक नहीं है।

आज्ञा से,


(भगवत सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, कोटा को उनके पत्र क्रमांक 278 दिनांक 1.05.2017 के संदर्भ में।
2. डॉ० नीलम खण्डेलवाल, वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, कोटा।
3. रक्षित प्रभावली।


(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव